पत्र संख्या:–15/एम 1–113/2014–1570
शिक्षा विभाग

प्रेषक,

डा० एस०एम०करीम, ,
निदेशक,उच्च शिक्षा।

सेवा में,

कुलसचिव,
तिलका माँझी भागलपुर विश्वविद्यालय,
भागलपुर।

पटना, दिनांकः–........................13/8/2014

विषय मननीय उच्च न्यायालय से संबंधित वाद/अवमाननावाद के निपटारे के लिए शिक्षकों के बकाया वेतनान्तर मद में राशि की स्वीकृति के संबंध में।

प्रारंभ– आपके पत्रांक–AU/1678 दिनांक 18.06.2014

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि विश्वविद्यालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित विभिन्न वाद/अवमाननावाद के निपटारे के लिए शिक्षकों के बकाया वेतनान्तर मद में रूपये 4,36,41,902/–(चार करोड़ छत्तीस लाख एकतालीस हजार नौ सौ दो) मात्र की मांग की गई है। प्रसंगाधीन पत्र के द्वारा सूचित किया गया है कि शिक्षकों के वकाये वेतनान्तरण की जाँच वित्त अंकेक्षक से करा लिया गया है। आपके पत्र के साथ संलग्न सूची से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कौन कौन से याचिका/अवमाननावाद में किस आदेश के अनुपालन में राशि की मांग की जा रही है,साथ हीं शिक्षकों के बकाये वेतनान्तर के मद में याचित राशि किस अवधि का है एवं सूची में वर्णित शिक्षकों के भुगतान हेतु अलग–अलग दावा विवरणी भी संलग्न नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में याचित राशि स्वीकृत एवं विमुक्त करना संभव नहीं है।

विश्वासभाजन,
Skarim 13/08/14
(एस०एम०करीम)
निदेशक (उच्च शिक्षा)

चिट्ठी